रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355 / 79
डाक पंजीकरण संख्या :– के पी सिटी– 67 / 2018–20
चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में
सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127 / 204 'एस' जूही, कानपुर–208014

वर्ष –40 ● अंक –11 ● कानपुर 1 से 15 जून 2018 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य – ₹ 100

इलेक्ट्रो होम्योपैथी अधिकार सम्पन्न

कदापि भ्रमित न हों

अभी तक पूरे देश का इलेक्ट्रो होम्योपैथ केन्द्र सरकार की तरफ आशा भरी दृष्टि से देख रहा था कि वर्षों से चली आ रही इलेक्ट्रो होम्योपैथी की समस्या का निराकरण हो जायेगा, पिछले कुछ वर्षों से राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संगठनों के द्वारा इस विषय पर आन्दोलन भी चलाये जा रहे थे। 21 जून, 2011 को केन्द्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए अति स्पष्ट आदेश देने के बाद पूरे देश का इलेक्ट्रो होम्योपैथ इस बात की प्रतीक्षा करने में लगा था कि जब भारत सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी को शिक्षा देने, चिकित्सा कार्य करने व इलेक्ट्रो होम्योपैथी विधा में शोध कार्य करने में अपनी सहमति जता रही है तो फिर केन्द्र सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता भी देगी परन्तु इसी बीच एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर देश का सारा इलेक्ट्रो होम्योपैथ उहापोह की स्थिति में क्यो आ गया ?इस पर विचार होना चाहिये ! कई संगठन तो इस आदेश को लेकर अराजकता की ओर बढ़ रहे हैं जो ठीक नहीं है।

समझ में नहीं आता है कि इस आदेश में ऐसा क्या लिखा है जो लोग इतना व्याकुल हैं या तो इस आदेश को लोग समझ नहीं पा रहे हैं या फिर समझना ही नहीं चाहते हैं। आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे परेशान हुआ जाये, आदेश वादी की भावना के अनुसार ही लगता है, इसे विडम्बना ही कहा जायेगा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में काम की तुलना में अफवाहों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और यही वह कारण है जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी को पूर्ण रूप से विकसित नहीं होने दे रहा है, किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है कि कार्य अबाध रूप से हो और जो लोग कार्य कर रहे हैं वह पूरी क्षमता के साथ कार्य करें, हम इधर पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं पर नज़र डालें तो यह दिखायी देने लगता है कि कुछ – कुछ अवधि के बाद ऐसी – ऐसी बातें उठायी जाती हैं जो सत्यता से बिल्कुल परे होती हैं, संगठन अपने हित के लिए अनेकों बार ऐसी बातें उठाते रहे हैं जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के हित में नहीं होती है लेकिन उन्हें तो अराजकता फैलाने की आदत है और उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता है कि क्षणिक लाभ प्राप्त करने के लिये भविष्य में आगे चलकर कितना नुकसानदायी परिणाम आ सकता है।

- अन्तरद्वन्द ही अन्तरद्वन्द
- आपस में ही है विरोध
- सब बनना चाहते हैं नायक
- अब तो गम्भीरता लाओ
- सो गये तो सबकुछ समाप्त
- समय के साथ चले वरना..
- कहीं हम 2003 की ओर तो नहीं जा रहे हैं!

देश के समस्त इलेक्ट्रो होम्योपैथों को काम करने का एक बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हो गया है, सरकार आपके हित में है, कोर्ट भी आपके हित में है, सारे सितारे हमारे पक्ष में चल रहे हैं, फिर परेशानी कहां है ?काफी मंथन के बाद हमें यह सोचने पर विवश होना पड़ा कि परेशानी तो उन लोगों में है जो इस आदेश को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। इस प्रकार की बातें समाज में कभी भी एकता को जन्म नहीं लेने देती हैं, एकता के स्थान पर वैमनस्यता जन्म ले लेती है और जोकि कटुता पैदा करती है वह आगे चलकर अराजकता का रूप लेती है तब इसके जो भी परिणाम उभर कर सामने आते हैं वह कभी भी फलदायी नहीं होते हैं प्रायः यह देखने को मिलता है कि अराजकता व्यक्तिगत हितों को साधने के लिये ही की जाती है।

अराजकता या भ्रम का अभी ताज़ा उदाहरण राजस्थान का वह बिल है जिसके बारे लोग बताते–बताते थक नहीं रहे हैं कि राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी का बिल पास कर दिया है लेकिन यह कितना सत्य है ! यह तो भ्रम फैलाने वाले बहुत अच्छी तरह से जानते हैं परन्तु उन्हें तो भ्रम फैलाना है जो वह फैलायेंगे ही।

आप भली भांति यह जानते हैं कि वास्तविकता क्या है ? अफ़वाहों को उड़ाने वालों का भी एक लक्ष्य होता है उनका एक ही उद्देश्य है कि ऐन–केन प्रकेण हमें तो अपना भला चाहिये, उनका मानना है कि किसी भी कीमत पर अपना भला होना चाहिये भले ही इसके परिणाम दूसरों को नुकसान ही क्यों न पहुंचायें (दूसरों का यहां तात्पर्य इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों से है) दूसरों का नुकसान हो जिन लोगों की विचार धारा ऐसी होती है वह न तो अपना हित कर पाते हैं और न ही चिकित्सा पद्धति का। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोएिसशन ऑफ इण्डिया का हमेशा यह मानना रहा है कि चिकित्सक,संगठन, औषधि निर्माताओं को चाहिये कि वह अपना कार्य अबाध रूप से करते रहें, भ्रम में न पड़ें, यदि आप कार्य करते रहे तो निसन्देह सफलता आपका चरणचुम्बन करेंगी

रामायण में कहा गया है कि...जाकि रही भावना जैसी। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।। अर्थात जिसकी जैसी दृष्टि होती है,उसे वैसी ही ही मूरत नज़र आती है किसी भी कार्य के लिए भावना का महत्वपूर्ण स्थान होता है, अब इसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही लें लोग अलग–अलग ढंग से कोर्ट के आदेश को व्याखित कर रहे हैं, कोई कहता है कि इस आदेश के बाद मेडिसिन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो कोई कहता है कि इस आदेश के बाद केवल हम ही कार्य कर सकते हैं, यह कैसी विडम्बना है ?कि एक ही ओदश के अलग अलग अर्थ लेकिन क्योंकि लोग अपने हित के अनुसार बात कहते हैं इसलिए लोग कह रहे हैं रामायण का ही एक प्रसंग है कि जब राम ने धनुष तोड़ दिया और परशुराम जी आये तो उन्हें संशय था कि भगवान का अवतार हो चुका है या नहीं तो उन्होंने जानने के लिये राम से कहा कि राम रामापति कर धन लेहु। खैंचहु चाप मिटे संदेहु।। लेकिन आपको यह बताना आवश्यक है कि रामायण में चाप शब्द है ही नहीं परन्तु रामलीला रंग–मंच में अधिकांश परशुराम अभिनेता चाप का इस्तेमाल करते हैं अर्थात कहने का मतलब यह है कि लोग अपने हित के हिसाब से बात कहते और समझते हैं।

इस आदेश को लेकर कितना अन्तर्द्वन्द है ! यह तो आप लोग समझ ही रहे हैं यदि इस अन्तर्द्वन्द को न रोका गया तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कितना नुकसान होगा ?यह तो आने वाला भविष्य ही बतायेगा। परन्तु अभी भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लोग इस आदेश को गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं, वह केवल हवा–हवाई या सुनी–सुनाई बात कर रहे हैं इस आदेश की वास्तविकता पर यदि विचार किया जाये तो लोगों को समझ में आ जायेगा कि कुछ भी नया नहीं हुआ है। न अच्छा और न ही कुछ बुरा, इस आदेश से पहले भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर रोक नहीं थी और न इस आदेश से इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर अब रोक लगी है, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर यह बात कही गयी है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा , शिक्षा एवं अनुसंधान पर कोई रोक नहीं है इलेक्ट्रो होम्योपैथ प्रैक्टिस करने के लिए अर्ह हैं, हाँ ! यह अवश्य कहा गया है कि जब तक सरकार द्वारा डिग्री व डिपलोमा जारी करने के लिए कानून नहीं बन जाता है तब तक डिग्री व डिपलोपा जारी न किये जायें।

इसी भ्रम के कारण से ही जब हमारा चिकित्सक अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक के सामने होता है तो वह हीन भावना से ग्रस्त होता है, इसलिए हमारा पहला लक्ष्य है कि चिकित्सक को उत्साही बनाना, उसके मनोबल को बढ़ाना, जब चिकित्सक अपनी चिकित्सा से अच्छे परिणाम प्राप्त करता है तो उसका मनोबल स्वतः ही बढ़ने लगता है, भविष्य को उज्जवल और मंगलमयी बनाने के लिए हम सबको चाहिये कि भ्रम से हट कर केवल इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में सोचें अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी किसी से मुकाबला करने में पीछे नहीं है, हमारे चिकित्सक भी उतने ही योग्य हैं जितने कि अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक हैं।

अस्तु हम सबका कर्तव्य है कि पैथी को 2003 की ओर न जाने दें इलेक्ट्रो होम्योपैथी के हित में कार्य करें, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का भविष्य उज्जवल है और उज्जवल ही रहेगा आपकी कार्यकुशलता पर सबकुछ निर्भर होगा कि आप किस ओर जा रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही एक नया आदेश आया फेसबुक व वाट्सएप पर तरह – तरह की चर्चायें होने लगीं, कोर्ट का आदेश लोगों को मिला या नहीं इसकी पुष्टि तो मुश्किल है लेकिन उस पर ऐसी विशेषज्ञ चर्चायें हुई कि मानो इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर कोई तूफान टूट पड़ा हो। लोगों ने एक दूसरे से पूछना बताना शुरू कर दिया और जो कुछ भी जानकारी मिलती उसपर संतोष न करते हुए दूसरों से उसकी पुष्टि करने लगते और तो और सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को कई आदेशों में तब्दील कर दिया गया तथा हर आदेश की अलग – अलग व्याख्या भी की जाने लगी।

आम इलेक्ट्रो होम्योपैथ इस कदर भ्रमित हो गया कि उसने अपना काम बन्द करने की बात तक शुरू कर दी सिर्फ इतना ही नहीं महाराष्ट्र सरकार द्वारा संचालित वोकेशनल ट्रेनिंग काउन्सिल द्वारा संचालित कोर्स को भी अवैध ठहराने की बात की जाने लगी है इस सम्बन्ध में समाचार पत्रों में बहुत ही गम्भीर समाचार प्रकाशित कराये गये जिसमें यह सन्देश दिया गया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति ही नहीं उसके पढ़ाने वाले चिकित्सक भी अवैध हैं जबकि वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं है यह समाचार सिर्फ भ्रम तो फैला सकते हैं लेकिन वास्तविकता को झुठला नहीं सकते, इलेक्ट्रो होम्योपैथी को न तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक लगायी है और न ही काम से रोका है।

सुप्रीम कोर्ट ने जारी आदेश में अपने पुराने आदेशों को ही दोहराया है नये आदेश में सिर्फ स्पष्टीकरण मात्र है जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट आदेश एवं कार्य के अधिकार को आसानी से समझा जा सकता है इसमें समझ में न आने वाली जैसी कोई चीज़ नहीं है, कोर्ट ने केन्द्र सरकार के उस आदेश की पुष्टि की है जिसमें केन्द्र सरकार हमेशा से कहती रही है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस एवं शिक्षा पर कोई रोक नहीं है जब तक वह भारत सरकार के आदेश के अनुरूप की जाती रहे। सुप्रीमकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से एक बात और कही है कि सरकार द्वारा डिग्री एवं डिपलोमा जारी करने के कानून बनाने से पूर्व संस्थानों द्वारा डिग्री व डिपलोमा जारी न किये जायें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एक बात और स्पष्ट रूप से निकल कर आयी है कि डिग्री व डिपलोमा जारी करने के कानून राज्य विधान मण्डल द्वारा ही बनाये जायेंगे, इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी राज्यों के कानून के अनुरूप चलेगी जबकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नियमन का मामला केन्द्र सरकार द्वारा निस्तारित किया जायेगा, इससे यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संचालन की व्यवस्था राज्य स्तर पर ही होगी इसमें केन्द्रीय व्यवस्था का कोई स्थान नहीं है अब जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की संस्थायें यह दावा करती हैं कि उन्हें राष्ट्रीय/अखिल भारतीय स्तर पर कार्य करने का अधिकार प्राप्त है वह उनकी मात्र परिकल्पना है, देश संघीय राष्ट्र है नियमन की तमाम व्यवस्थायें केन्द्र सरकार के अधीन होती हैं तथा संचालन एवं नियन्त्रण का अधिकार राज्य सरकारों को होता है ऐसी स्थिति में भ्रम फैलाने के बजाय सिर्फ नियम संगत कार्य करने के लिए तत्पर होना चाहिये, यदि आप नियम संगत कार्य करेंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं है, आदेश के सन्दर्भ में एक बात का बहुत ज़ोर शोर से प्रचार किया जा रहा है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में मेडिसिन के प्रयोग पर रोक लगा दी गयी है आपको यह समझना चाहिये कि यदि मेडिसिन पर रोक लगा दी जायेगी तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस कैसे होगी ?दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अभी मेडिसिन की परिभाषा ही नहीं निर्धारित की गयी है तो रोक किस प्रकार लगायी जा सकती है अर्थात इलेक्ट्रो होम्योपैथी की न तो प्रैक्टिस पर रोक है और न ही मेडिसिन पर सम्भावनायें तभी तक जीवित हैं जब तक हमारी मानसिक स्थिति सकारात्मक रहेगी सकारात्मक विचारधारा से किया हुआ कार्य सदैव फलदायी होता है इसलिए हमें सकारात्मक सोच के साथ काम करना चाहिये अगर आप यह समझते हैं कि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी से भिन्न औषधियां प्रयोग में लाते हैं तो उसे तुरन्त बन्द कर देना चाहिये इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दोष नहीं देना चाहिये। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसी कोई भी रोक अपने स्तर से नहीं लगायी गयी है जिसकी हमने मांग न की हो बल्कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हमारी मांग को अक्षरशः स्वीकार किया गया है कानूनी तौर पर व्यवस्था की व्याख्या की गयी है, बार बार रोक न होने की बात कही गयी है इतना स्पष्ट होने के बाद भी यदि हम नहीं समझ पा रहे हैं तो हमें पहले जानकारों एवं विशेषज्ञों से मिलकर आदेश की भावना को समझना चाहिये और सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिये। लोगों को इस भ्रम से बाहर निकलना चाहिये कि कई आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा किये गये हैं जिनमें से कोई एक आदेश किसी को अधिकार देता है तथा दूसरा आदेश किसी को प्रतिबन्धित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश में अपने पुराने आदेश की पुष्टि ही नहीं की है बल्कि भारत सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिये गये शपथपत्र का उल्लेख किया है जिसमें सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस पर कोई रोक नहीं है।

इतना स्पष्ट आदेश होने के बावजूद यदि हमारे साथी समझ नहीं पा रहे हैं तो इसे उनकी नासमझी ही कहा जायेगा।

हमें हमारी बुद्धिमानी कहीं डुबा न दे

25 नवम्बर, 2003 का भारत सरकार का वह आदेश जिसको लोगों ने गलत व्याख्यित करके बन्दी जैसी ला दी थी, उसी प्रकार अभी अभी ताज़ा सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लोग अपने–अपने तरीके से व्याख्यित कर रहे हैं कोई कह रहा है कि इस आदेश से इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रतिबन्धित हो गयी है तो कोई कहता है कि इस आदेश के अनुसार हम कार्य ही नहीं कर सकते हैं, कोई कहता है कि इस आदेश के अनुसार मेडिसिन का प्रयोग नहीं कर सकते है , अर्थात लोग मनमाने ढंग से इस आदेश का अर्थ निकाल रहे हैं, लोग 2003 की जैसी स्थिति ला रहे हैं लोगों को समझना चाहिये कि सरकार आपको लगातार अवसर दे रही है कि आप अपनी स्थिति मज़बूत से मजबूत्तर कर लें अभी पिछले महीनों में जो सरकार ने प्रपोज़ल मंगाये थे वह इसी ओर इशारा करते हैं कि सरकार आपके हित की ही बात कर रही है और सरकार चाहती है कि आप कार्य करें।

एक आदेश को लेकर ऐसी उहापोह शोभा नहीं देती है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के इतिहास में कई आदेश आये कभी तो लगा कि हम बहुत ही शीघ्र वह सब कुछ पा जायेंगे जिसके हम अधिकारी हैं तो कभी लगा कि हमारे हाथ से सब कुछ छिन्न सा गया है लेकिन हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहे और अपना कार्य करते रहे, हमें अभी उसी ओर बढ़ना चाहिये, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को हमे सकारात्मक सोच के साथ पढ़ना चाहिये इस आदेश में कहीं नही लिखा है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं इन्टर डिपार्टमेन्ट कमेटी द्वारा उठाये गये प्रश्नों को पूर्ण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने हमें पूर्ण अवसर दिया है जो निर्बाध रूप से कार्य करते हुए हम पूरा कर सकते हैं। हम इन्टरडिपार्ट– मेन्टल कमेटी द्वारा वांछित और आवश्यक मापदण्डों को पूरा करने के लिए हम देश एवं विदेश से भी अवसर प्राप्त कर सकते हैं जो कमेटी द्वारा अपेक्षित है इसमें यह आदेश मील का पत्थर साबित हो सकता है, सुप्रीमकोर्ट का यह आदेश हमें मान्यता से पूर्व मान्यता जैसा अधिकार प्रदान कर रहा है जिसका लाभ उठाते हुए हम एक ओर सरकार द्वारा वांछित आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं वहीं दूसरी ओर जन मानस में अपनी छवि बना सकते हैं।

ज्ञातत्व हो कि कुछ समय पूर्व संसद में माननीया स्वास्थ्य राज्य मन्त्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल द्वारा एक बयान दिया गया था कि मान्यता से पूर्व इनको जनमानस से दूर रखा जाये सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश उनके इस ब्यान पर स्पष्ट रोक लगाता है तथा इलेक्ट्रो होम्योपैथों को जनमानस के साथ सम्पर्क स्थापित कर स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने का अवसर प्रदान करता है। हमनें आदेश की भावना को समझे बिना मनमाने ढंग से अर्थ निकाले और होने वाले कार्य को बाधित करने में सहयोगी बने, यह इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथ ही नहीं बल्कि अपने साथ भी अन्याय करने जैसी बात है। सम्यक विचारोपरान्त पूरे मनोभाव से अपने कार्य में लग जायें मन से यह बात निकाल दें कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में रोक जैसी कोई बात है बल्कि यह समझ लें कि वर्तमान आदेश इस बात की पुष्टि करता है कि आज ही नहीं, भविष्य में भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कोई रोक लगने वाली नहीं है। लेकिन यह आदेश उन लोगों को सचेत करता है जो डिग्री व डिपलोमा जारी रखने के फेर में हैं और वह चाहते हैं कि येन–केन–प्रकारेण डिग्री/डिपलोमा जारी कर लोगों के साथ खिलवाड़ करें उन्हें एक बार पुनः स्मरण कराया जाता है कि डिग्री जारी करने पर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 18 नवम्बर, 1998 में ही रोक लगा दी थी जो अनवरत आज तक जारी है जिस पर सुप्रीमकोर्ट की कई बार सहमति भी हो चुकी है।

इलेक्टो होम्योपैथी में जो लोग डिग्री और डिपलोमा जारी रखने के लिए पुरज़ोर कोशिश में थे उन्हें एक बार फिर से विचार करना चाहिये क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में डिग्री पर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो रोक लगायी थी वह अभी तक जारी है इसी बात को माननीय सुप्रीमकोर्ट ने अपने इस आदेश में स्पष्ट रूप उल्लेख किया है कि सरकार द्वारा डिग्री एवं डिपलोमा जारी करने के कानून बनाने से पूर्व संस्थानों द्वारा डिग्री व डिपलोमा जारी न किये जाये।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी मान्यता के अन्तिम पड़ाव पर है भ्रमित न हों क्योंकि केन्द्र सरकार बार–बार यह स्वीकार कर चुकी है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर रोक नहीं है अर्थात इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया का आदेश 21 जून, 2011 का स्टैण्ड अभी भी जीवित है और भारत सरकार उसी दिशा में काम भी कर रही है।

ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का हित नहीं चाहते है वह लोग ही समय–समय पर अनर्गल बातें प्रचारित करते रहते हैं, पूरानी कहावत है कि अधकचरा ज्ञान कभी भी लाभकारी नहीं होता है, हमें कहीं हमारी बुद्धिमानी डूबा न दे इस पर भी सोच समझ कर कार्य करना चाहिये, लोगों के बहकावें में न आयें अपना कार्य निष्ठा के साथ करते रहें।

लोगों को तो अवसर चाहिये लोग अपने लाभ के अनुसार व्याख्या करते हैं अच्छे से अच्छे आदेश को बुरा बना देते हैं और बुरे से बुरे आदेश को अपने लाभ के लिए अच्छा साबित कर देते हैं। आपकी कार्यकुशलता पर सबकुछ निर्भर करेगा, इलेक्ट्रो होम्योपैथी को इतनी प्रतिस्पर्धी बना देना है कि यह चिकित्सा पद्धति केवल विकल्प बन कर न रह जाये अपितु चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी और महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन भी करे और यह सारे कार्य तभी सम्भव हो पायेंगे जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विधा का चिकित्सक बढ़े हुए मनोबल के साथ चिकित्सा व्यवसाय करेंगें तथा आदेशों की मनगंढत व्याख्या को छोड़कर केवल अपने कार्य में लग जायेंगे।

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश वर्तमान परिदृश्य में किसी कानून से कम नहीं है और यह आदेश आपको काम करने के लिए पूरी स्वतन्त्रता देता है कार्य करने के लिए 21 जून 2011 का आदेश चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए दिशा निर्देश है।

अस्तु ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में केवल 21 जून, 2011 के दिशा निर्देशों के अनुसार अपनी व्यवस्थायें निर्मित कर जन साधारण को स्वास्थ्य लाभ पहुँचाने के लिए लगे रहें।

हमें स्वयं खड़ा होना होगा

आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी विधि सम्मत अधिकार प्राप्त चिकित्सा पद्धति है। जिसके लिए 21 जून,2011 को भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय ने तथा इसी आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा 4 जनवरी,2012 को शासनादेश जारी करना तथा इसी शासनादेश के क्रियान्वयन में महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 द्वारा सभी मण्डलीय अपर निदेशकों को आदेशित करना व मण्डलीय अपर निदेशकों द्वारा अपने अधीनस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित करना कि शासकीय आदेशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें और अधिकांश मुख्य चिकित्साधिकारियो द्वारा इस विषय पर सकारात्मक निर्णय लेना यह सब इस बात के स्पष्ट प्रमाण है कि आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी इतनी मजबूत हो चुकी है इसके बावजूद यदि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक निराश व हताश होता है तो यह उसकी अपनी निजी सोच है समाचार पत्र यदि आपके विरूद्ध आपके सिस्टम के विरूद्ध कुछ छापता है तो प्रथम आपको स्वयं इसका विरोध करना चाहिये और यह प्रयास करना चाहिये कि यह विरोध संगठन स्तर पर सामुहिक हो तथा विरोध करने वाले का अपनी अधिकारिता वाले प्रपत्रों को उपलब्ध कराते हुए उससे निवेदन करना चाहिये कि वह वास्तविक स्थिति से अवगत हो ले तथा मूल सुधार करते हुए वास्तविक स्थिति से जनता को अवगत कराने के लिए अपने समाचार पत्र में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की वास्तविक स्थिति को छापे यदि वह ऐसा नही करता है तो उससे बार बार निवेदन करते रहें इसके बावजूद भी यदि स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तब आन्दोलन की राह में उतरते हुए समाज को अपनी यथा स्थिति से अवगत कराना होगा लेकिन यह सारे कार्य स्थानीय स्तर पर होने चाहिये।

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया लगातार ऐसे मामलो में पैनी दृष्टि रखे हुए है लेकिन साथ में हम यह भी अपेक्षा करते है कि स्थानीय संगठन भी अपनी जिम्मेदारी को समझे व उसी के अनुरूप कार्य करे।

आज बात सिर्फ मुम्बई की ही नहीं है वरन हम पूरा देश देख रहे हैं और कहीं पर ऐसी घटना होती है तो हमें उत्साह से उसका जवाब देना चाहिये कारण इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कोई कमी नहीं है जब पद्धति में कमी नहीं है तो भय कैसा ? फिर समाचार पत्रों में कुछ भी छपे, यदि कोई समाचार पत्र आज्ञनता के अभाव में ऐसा कोई समाचार प्रकाशित करता है जो वास्तविक न हो तो ऐसे समाचारों को हमें गम्भीरता से नहीं लेना होगा और न ही उस पर कोई कार्यवाही करनी होगी सत्यता तो यह है कि इतना सबकुछ होने के बावजूद भी हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथ आज भी अपने मन में अधिकारिता का भाव पैदा नहीं कर सका जिससे कि उसमें कुंठा बनी रहती है।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी से शिक्षा प्राप्त करना चिकित्सा व्यवसाय करना व इस विधा में अनुसंधान करना यह हमारा अधिकार है और हमें इसे आगे बढ़ाने के लिए निरन्तर जागरूकता अभियान चलाना होगा। कारण यह जो कुछ भी पैदा हो रहा है उसके मूल में जो कुछ भी है वह है हमारा अविश्वास। हर चिकित्सक को अपने मन में यह दृढ़विश्वास रखना चाहिये कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी झोलाछाप की श्रेणी में नहीं आती है और न ही वह झोलाछाप स्वयं है, बशर्ते वह चिकित्सक विधिवत पंजीकृत/नवीनीकृत, अधिकृत चिकित्सक होने के साथ साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से ही चिकित्सा व्यवसाय कर रहा हो तथा न्यायालयों के आदेशों के मुताबिक उसने अपना पंजीयन हेतु आवेदन स्थानीय मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में दे रखा हो।

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सम्मेलन कोलकाता में सम्पन्न

अखिल भारतीय इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सम्मेलन का आयोजन स्थानीय "ही ग्लोबल एकेडमी" के सभागार में 20 मई को सम्पन्न हुआ जिसमें विभिन्न राज्यों के कालेजो के प्राचार्य एवं परिषदों के पदाधिकारियों के साथ–साथ उनके प्रतिनिधि भी उपस्थित हुये, समारोह के मुख्य अतिथि प्रज्ञान अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय रांची (झारखण्ड) के डा0 एस0 के0 अग्रवाल ने अपने उदघाटन भाषण में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को बंगाल सहित अन्य राज्यों द्वारा इस अभिनव व सस्ती चिकित्सा पद्धति को अतिशीघ्र मान्यता प्रदान करने की मांग की, सम्मेलन में वैज्ञानिक डा0 पी0 एस0 टाकी, डा0 यूनुस मुंशी, डा0 अशोक मल्लिक, डा0 सरोज साव, डा0 एस0 के0 विश्वास, डा0 नरेन पाण्डेय आदि ने प्रमुख रुप से अपने विचार रखे, कार्यक्रम का संयोजन एवं कुशल संचालन डा0 आनन्द प्रसाद मौर्या द्वारा किया गया।

माइक पर सम्बोधित करते हुये डा0 ए0 पी0 मौर्या एवं मंच पर बीच में अध्यक्षता करते हुये डा0 एस0 के0 बिश्वास तथा मुख्य अतिथि डा0 एस0 के0 अग्रवाल कुलाधिपति प्रज्ञान अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय रांची (झारखण्ड) छाया गज़ट

मेहनत अभी और करनी पड़ेगी

इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भी अच्छे दिन आ गये हैं यह बताने के लिए अभी बहुत श्रम करना पड़ेगा यह तथ्य धीरे – धीरे उभर कर सामने आ रहे हैं पिछले दो महीनों में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करने के लिए जो प्रयास किये गये उन प्रयासों के परिणामोंस्वरूप जो कुछ भी सामने आ रहा है वह उत्साह जनक तो है लेकिन बहुत अधिक उत्साह देने वाला नहीं है आज भी प्रदेश का अधिकांश इलेक्ट्रो होम्योपैथ इस बात से परिचित नहीं है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कोई शासनादेश सरकार द्वारा जारी किया जा चुका है। हास्यस्पद स्थिति तब पैदा होती है जब सदूरवर्ती गावों में बैठा इलेक्ट्रो होम्योपैथी का प्रैक्टिशनर यदि यह कहता है कि हमें इसकी जानकारी नहीं है कि हमें भी प्रैक्टिस करने के लिए शासन द्वारा शासनादेश जारी किया गया है। यह बात तो समझ में आती है कि सवांद के अभाव में उस ग्रामीण चिकित्सक को जानकारी नहीं हो पाई होगी लेकिन जब महानगरों में बैठा चिकित्सक इस शासनादेश के बारे में अज्ञानता जाहिर करता है तो हम असहज होने लगते हैं गत वर्षों से हम निरन्तर संचार के हर माध्यमों से यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि 04 जनवरी, 2012 को इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए सरकार द्वारा शासनादेश जारी किया जा चुका है इस हेतु बहुत सारी चिकित्सा गोष्ठियां भी आयोजित की जा चुकी हैं बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0 के साथ साथ प्रदेश के अन्य इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संगठन भी इस बात का लगातार प्रचार कर रहे हैं कि प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने में किसी भी तरह की कोई रोक नहीं है। बावजूद इसके अभी भी जागरूकता का अभाव है। हम इससे चिन्तित नहीं है बल्कि प्रेरित हैं कि हमें अभी और तेज़ी के साथ कार्य करना है हमने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करने का जो संकल्प लिया था उस संकल्प को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करने की आवश्यकता है इसके लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया और बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने एक नीति निर्धारित कर संयुक्त अभियान चलाने का निर्णय लिया है जोकि आगामी 01 जुलाई, 2018 से प्रारम्भ हो गा इस सत्र में हमारा फोकस इलेक्ट्रो होम्योपैथी से बेहतर कैरियर पर रहेगा हमारे कार्यकर्ता महानगरों के साथ–साथ गाँव–गाँव में जाकर युवाओं के बीच इलेक्ट्रो होम्योपैथी की वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करेंगे कारण आज की युवा पीढ़ी अपने भविष्य के लिये ज़्यादा चिन्तित रहती है और भविष्य के प्रति चिन्तित रहना स्वस्थ और जागरुक समाज की पहचान भी है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कैरियर अच्छा कैसे बनेगा ! यह बताने के लिये समाज के बुद्धजीवी और कैरियर काउन्सलरों से सम्पर्क स्थापित कर गोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा यद्यपि यह कार्य आसान नहीं है फिर भी हम इसे चुनौती के रुप में स्वीकार करते हैं और दोगुने उत्साह के साथ हमारी टीम इस क्षेत्र में कार्य करने में लग गयी है लेकिन हम यह भी अपेक्षा करते हैं कि वह शिक्षण संस्थान जो हमसे सम्बद्ध हैं वह अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वाहन करें और पूरी ऊर्जा के साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी को प्रचारित करने में लग जायें, वह चिकित्सक जो चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े हैं उनका भी दायित्व है कि वे भी अपने आस–पास व अपने से जुड़े लोगों को यह बतायें कि अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है शासन एवं न्यायालय द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्वीकार किया जा चुका है, जरुरत है सिर्फ कार्य करने की कार्य से ही समाज में स्वीकार्यता बढ़ती है और जब आप समाज में स्वीकार्य होते हैं तभी नये लोग आप से जुड़ते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करने के लिये जो सब से अधिक आवश्यकता है वह है नये लोगों का जुड़ाव नये लोग से जुड़ाव का मतलब है ऐसे लोग जुड़ें जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी को अपने जीवन का आधार बनायें, युवा आपसे तभी जुड़ेगा जब वह वास्तविकता से परिचित होगा और यह निश्चित मानेंगा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़कर उसका भविष्य सुरक्षित हो जायेगा, सबकुछ हमारे पास है बस कमी है तो लोगों को जानकारी की, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी की वास्तविक स्थिति से परिचित करायें और उसे यह जानकारी भी दें कि लगातार इलेक्ट्रो होम्योपैथी का विकास हो रहा है और हौले–हौले यह पद्धति मान्यता प्राप्त पद्धतियों की तरह आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है लेकिन इस कार्य में हमें सबके सहयोग की आवश्यकता है तभी हम अपने अभीष्ट को प्राप्त कर सकेंगे।

विश्वास करना सीखें

मनुष्य के जीवन में परस्पर विश्वास की बहुत आवश्यकता होती है, जीवन के सारे रिश्ते विश्वास की ही डोर से बंधे होते हैं और यही विश्वास है जो कि मनुष्य को आपस में एक दूसरे से जोड़ता है, जहां पर विश्वास का अभाव होता है वहां सम्बन्धों के बारे में सोचना भी व्यर्थ होता है, हम सब जानते हैं कि शरीर नश्वर है, आज है कल होगा कि नहीं, यह किसी को नहीं पता होता है, फिर भी हम आने वाले कल के विश्वास में जीवित रहते हैं और बहुत सारी कार्य–योजनाओं पर कार्य करते हैं इसलिए जीवन में चलते रहने के लिए विश्वसनीयता का होना अति आवश्यक है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आज जिस चीज़ की कमी है वह है विश्वसनीयता की, इलेक्ट्रो होम्योपैथों में त्याग है, श्रद्धा है, समर्पण है, कुछ नहीं है तो वह है विश्वास। यही कारण है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में परस्पर द्वन्द बना रहता है फलस्वरूप वह कार्य बाधित होते हैं जो हो जाने चाहिये। यह बहुत अधिक गम्भीर विषय है इसपर हर इलेक्ट्रो होम्योपैथ को गम्भीरता से चिन्तन करना चाहिये क्योंकि यदि विश्वास का अभाव इसी तरह बना रहा तो प्रगति कैसे सम्भव है ! आज स्थिति यह है कि चिकित्सक अपने ऊपर ही भरोसा नहीं करता, अधिकार प्राप्त लोग अपने अधिकारों पर भरोसा नहीं करते, जो अधिकार के लिए सघंर्षरत हैं वह अधिकार सम्पन्न लोगों पर भरोसा नहीं करते हैं। यदि शीघ्र ही इस पर नियन्त्रण नहीं पाया गया तो भविष्य क्या होगा ?यह सोचने का विषय होगा ऐसा नहीं है कि यह स्थिति सदा से रही है, हमें आज भी याद है कि हम सब इलेक्ट्रो होम्योपैथ आपस में इतना प्रेम रखते थे कि कोई किसी को कुछ कह नहीं कह पाता था, अगर कभी किसी व्यक्ति ने चिकित्सा पद्धति के बारे में या संस्था संचालकों के बारे में कोई प्रतिकूल टिप्पणी करने का प्रयास किया तो उसको उसका तत्काल जवाब मिल जाता था। हमारे चिकित्सकों में एक दूसरे के प्रति अगाध श्रद्धा थी लोग तभी अपनी अपनी संस्थाओं के प्रति समर्पित भाव रखते थे और संचालकों को श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे, पता नहीं किसकी नज़र लगी कि धीरे – धीरे सबकुछ बिखरने सा लगा है और स्थिति इतनी खराब होती जा रही है कि लोगों में भाव परिवर्तन होने लगे हैं, यह परिवर्तन इस स्तर तक हो चुके हैं कि लोग किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं हैं यह वह तस्वीर है जो हमें आने वाले कल के लिए सचेत कर रही है, एक उदाहरण हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ... अभी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसमें लोग भ्रम में हैं लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और यही भ्रम चिकित्सकों का उत्साहवर्धन होने नहीं दे रहा है फलस्वरूप इलेक्ट्रो होम्योपैथी का विकास बाधित हो रहा है जब हम इस पर चिन्तन करते हैं कि यह स्थिति क्यों है ?तो यह बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि बीते गत वर्षों में जो परस्पर संवादहीनता रही उसी का परिणाम है कि लोगों को पूर्ण जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव अविश्वास को जन्म देता है और यही अविश्वास कार्य करने में प्रतिरोध उत्पन्न करता है, परस्पर संवाद रखना होगा एक वर्ग अधिकार युक्त दूसरा अधिकार के लिए संघर्षरत, जो अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा है वह कुछ भी मानने को तैयार नहीं होता है, फलतः जो स्थिति बनती है वह कहीं से भी सुखद नहीं कही जा सकती। मानव की प्रवृत्ति है कुछ न कुछ पाने की इच्छा रखता है, पाने की इच्छा रखना अच्छी बात है परन्तु पाने के लिए कुछ कार्य भी करने पड़ते हैं, कार्य करते हुए जो प्राप्ति होती है वह दीर्घकालिक सुख प्रदान करती है और अनायास उपलब्धि कभी कभी ही होती है इस लिए पाने की तुलना में कार्य से ज़्यादा सम्पर्क रखें तो ही मानव जीवन की सार्थकता होती है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हम सब सामान्य मानव जुड़े हैं इसलिए हमारी प्रवृत्तियां भी सामान्य मानव जैसी ही होंगी परन्तु एक बात जो पूरे इलेक्ट्रो होम्योपैथी जगत में प्रायः देखी जाती है वह यह है कि इस विधा से जुड़े लोग बिना कर्म के ही बहुत कुछ पा लेना चाहते हैं और यही कारण है कि हम अन्य चिकित्सा पद्धतियों की तुलना में उतने विकसित नहीं हो पा रहे हैं कि जितना विकास हो जाना चाहिये था उतना नहीं हो पा रहा है।भारत सरकार ने बार – बार हमें कार्य करने के अधिकार दिये हैं और अपने पत्रों के माध्यम से मान्यता देने की बात से भी विलग नहीं हो रही है परन्तु अभी सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से लोग इतना विचलित हैं कि लोग एक दूसरे का विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, लोगों को विश्वास तो करना सीखना ही होगा, बिना विश्वास के आप कुछ नहीं कर सकते हैं यदि आपको अपने या अपनी पैथी पर विश्वास नहीं है तो आप सदा संशकित रहेंगे यदि आप संशकित रहेंगे तो विकास सम्भव ही नहीं।

F.M.E.H. , A.C.E.H. , M.B.E.H. , G.E.H.S. & P.G.E.H.

परीक्षा का वार्षिक कैलेण्डर

F.M.E.H. & A.C.E.H. की परीक्षायें सेमेस्टर पाइज वर्ष में 4 बार होंगी जो इस प्रकार है :- March , June , September and December

F.M.E.H. / A.C.E.H. Semester Cycle.

Enrolment	Examination	Result
Up to 30th. January	Last Week of June	Last week of July
Up to 30th. April	Last Week of September	Last week of October
Up to 30th. July	Last Week of December	Last week of January
Up to 30th. October	Last Week of March	Last week of April

M.B.E.H. , G.E.H.S & P.G.E.H. Annual Cycle.

Enrolment	Examination	Result
Up to 30th. July	March	Last week of April

स्मरणीय तिथियाँ

- 4 जनवरी – अधिकार दिवस
- 11 जनवरी – मैटी जयंती
- 24 अप्रैल – स्थापना दिवस
- 21 जून – विजय दिवस
- 25 जुलाई – इहमाई दिवस
- 4 सितम्बर – मैटी निर्वाण
- 30 नवम्बर – प्रेरणा दिवस (सिन्हा जयन्ती)